मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

प्रशासन शाखा

पर्यटन भवन, भद-भदा रोड, भोपाल

क्रमांक /स्था/प्रशा/पिवनि/2016 भोपाल, दिनांक /02/2016

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
निगम मुख्यालय भोपाल।
महाप्रबंधक (परिवहन),
समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक,
क्षेत्रीय कार्यालय .....।
समस्त वरि.प्र./प्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक, होटल/मोटल .....।
समस्त मार्केटिंग कार्यालय .....।

विषय :- निगम सेवकों को गोपनीय प्रतिवेदनों का प्रकटन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- 1. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5-2/2009/1/9 दिनांक 23/07/2014,
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 5-1/2015/1/9 दिनांक 28/04/2015
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5-2/2009/1/9 दिनांक 10/11/2015,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनकी गोपनीय प्रतिवेदनों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्रकटित किये जाने का प्रावधान किया गया है, यह नियम निगम में भी लागू किया जाता है। उक्त सभी आदेश निगम की बेवसाइट www.mpstdc.com पर भी उपलब्ध है। समस्त संबंधित की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

पृ.क्रमांक 1426 /स्था/प्रशा/पिवनि/2016 भोपाल, दिनांक 2 /02/2016

प्रतिलिपि :- <u>समस्त की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. ओ.एस.डी., अध्यक्ष, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, मुख्यालय भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, निगम मुख्यालय भोपाल।
3. निज सहायक, अपर प्रबंध संचालक, निगम मुख्यालय भोपाल।
4. श्री प्रसन्न जगदले, प्रबंधक आई.टी. निगम मुख्यालय भोपाल की ओर भेज कर लेख है कि निगम की बेवसाइट पर पत्र के साथ उपरोक्त संदर्भित आदेश भी अपलोड करे।
5. समस्त के सूचनार्थ एक प्रति सूचना पटल पर लगाई जावे।
6. आदेश नस्ती।

2-2-16

महाप्रबंधक (प्रशासन)

Dev)पत्र १५-१६)58

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5–2/2009/1–9 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषय :– शासकीय सेवकों को गोपनीय प्रतिवेदनों का प्रकटन किये जाने के संबंध में।
सदर्भ :– विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/98/9/एक दिनांक 13 जनवरी, 1999.

विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञाप से शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन अभिलिखित किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देशक सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धान्त के आलोक में राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के समस्त सेवा संवर्ग, जो कि पदोन्नति नियम 2002 के नियम 4 (2) में वर्णित है, (प्रथम श्रेणी के अधिकारी) के सम्बन्ध में गोपनीय प्रतिवेदनों के प्रकटीकरण की प्रणाली लागू करता है। यह प्रणाली इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशाली होगी। इस प्रकार इसे 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि और इससे आगे के वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में प्रभावशाली माना जायेगा।

2. उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने की समय–सारणी वही रहेगी, जो सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग–एक–7 और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/98/9/एक दिनांक 13 जनवरी, 1999 द्वारा निर्धारित की गई है। तथापि सम्बन्धित शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को 15 अप्रैल तक फार्म उपलब्ध कराये जायेंगे। स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि 30 जून एवं सभी स्तरों से मतांकन पूर्ण किये जाने के लिए अंतिम तिथि 30 सितम्बर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी प्रत्येक के लिए एक माह की समय–सीमा होगी। उक्त समय–सीमा दिनांक 30 सितम्बर के पश्चात् दर्ज होने वाले मतांकन को

समय बाधित माना जायेगा और तदाश्य की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जायेगी। यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन ही उसके निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून, तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे भी समय बाधित माना जायेगा और तदाश्य की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर आंकित की जायेगी और प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन बिना स्वमूल्यांकन कर लिखेंगे। यदि अधिकारी/कर्मचारी ने तो अपना स्वमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु उस पर चैनल अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन अंतिम तिथि अर्थात् 30 सितम्बर तक नहीं हो पाया है तो इसके पश्चात् कोई भी टिप्पणियां अभिलिखित नहीं की जा सकेगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों के मूल्यांकन को समय बाधित माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के समग्र अभिलेख और सम्बन्धित वर्ष के स्वमूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।

3. यह व्यवस्था, सिविल अपील क्रमांक 7631/2002 में हुए निर्णय दिनांक 12 मई, 2008 की तिथि के बाद के वर्षों में लिखे गये गोपनीय प्रतिवेदनों के लिए भी लागू मानी जायेगी, किन्तु वर्ष 2008 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदन सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के मांगे जाने पर ही उन्हें प्रकटित किये जायेंगे।

4. अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष (31 मार्च की अवधि तक) के लिखे जाने वाले गोपनीय प्रतिवेदन इस परिपत्र में निर्धारित अंतिम समय-सीमा दिनांक 30 सितम्बर तक संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के पास पंहुच जाने चाहिए। गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा वार्षिक चरित्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति सम्बन्धित शासकीय सेवक को एक माह की अवधि में प्रकटित की जायेगी। प्रकटन (प्राप्ति) की तिथि से एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रतिवेदित अधिकारी मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तथा श्रेणी के उन्नयन के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। समयावधि में अभ्यावेदन न प्रस्तुत न करने की दशा में वार्षिक चरित्रावली अंतिम मान ली जायेगी। सक्षम अधिकारी को तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषित करते हुए

अर्द्ध न्यायिक तरीके से अभ्यावेदन का निराकरण अभ्यावेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर करना होगा। यदि वार्षिक प्रतिवेदनों में श्रेणी का उन्नयन किया जाता है तो उसके लिए कारण भी अंकित किये जायेंगे।

5. गोपनीय प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में सामान्य पुस्तक परिपत्र और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित अन्य व्यवस्थाएं यथावत् लागू रहेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5–2/2009/1–9 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महापहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ;
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ;
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक मध्यप्रदेश भोपाल ;
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ;
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ;
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल ;
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल ;
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ;
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ;
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ;
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ;
12. महाधिवक्ता/उप महाधिदक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ;
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ;
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ;
15. अध्यक्ष, समस्त मान्यता प्राप्त संघ, मध्यप्रदेश ;

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5–1/2015/1/9 भोपाल दिनांक 28 /04/2015

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– गोपनीय प्रतिवेदन से संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी।
संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. एफ–5–2/2009/1/9 दिनांक 23 जुलाई, 2014

–0–

संदर्भित पत्र अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियो को गोपनीय प्रतिवेदन प्रकटन किये किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। वर्ष 2008 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के मांगे जाने पर ही उन्हें प्रकटित किये जायेंगे। प्रकटन (प्राप्ति) की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित प्रतिवेदित अधिकारी के मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी उन्नयन हेतु अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के क्रम में शासकीय सेवक द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन से संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अभ्यावेदन के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी ही होंगे। शासकीय सेवक से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन से संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण उसी स्तर (कार्यालय) पर किया जाये, जिस स्तर पर उनके गोपनीय प्रतिवेदन का संधारण किया जा रहा है।

(बी.आर. विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–1/2015/1/9 भोपाल दिनांक 28/04/2015

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभव, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालिर।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अध्यक्ष, समस्त मान्यता प्राप्त संघ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

कमांक/एफ 5–2/2009/1–9

भोपाल; दिनांक 10 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **शासकीय सेवकों को गोपनीय प्रतिवेदन का प्रकटन किये जाने के संबंध में।**

संदर्भः– 1. सामा. प्रशा.विभाग का कमांक/एफ–2/2009/1–9, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2014 एवं
2. सामा. प्रशा.विभाग कमांक /एफ 5–1/2015/1–9, भोपाल, दिनांक 28.अप्रैल 2015

संदर्भित पत्र के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवदेन प्रकटित किए जाने के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। वर्ष 2008 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित अधिकारियों के मांगे जाने पर ही उन्हें प्रकटित किए जाएंगे। प्रकटन की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित अधिकारी गोपनीय चरित्रावली के मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन मे अंकित तथ्यों के संबंध में तथा श्रेणी उन्नयन हेतु अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जारी किए गए संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में नीचे लिखे अनुसार मार्गदर्शन जारी किए जाते हैं:–

1. वर्ष 2008 से 2013 अर्थात् पूर्व के वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन इस पत्र के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 01 माह की अवधि तक प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों के आधार पर मांगे जाने पर ही प्रदान किए जा सकेंगे।
2. उपरोक्त पूर्व वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन के प्रकटीकरण के पश्चात् निर्धारित समयावधि में प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण शासन स्तर से किया जाएगा।
3. गोपनीय प्रतिवेदनों संबंधी अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए संबंधित स्वीकारकर्ता/अंतिम मतांकनकर्ता अधिकारी से यदि वे शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, तो आवश्यकतानुसार उनका मत

प्रचलित नियमों अनुसार प्राप्त किया जा सकेगा। श्रेणी उन्नयन के संबंध में अंतिम निर्णय गुण–दोषों के आधार पर विभाग के द्वारा किया जाएगा।

4. प्राप्त अभ्यावेदन पर वर्तमान प्रचलित नियमों के तहत ही विचार किया जाएगा।
5. गोपनीय प्रतिवेदन के उन्नयन की स्थिति में यह भविष्यलक्षी प्रभाव रखेगा, इसके आधार पर पूर्व में की गयी विभागीय कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी।

(मुक्तेश वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक/एफ 5–2/2009/1–9

भोपाल, दिनांक-10 नवम्बर 2015

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, माचना कालोनी,भोपाल।
15. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
16. महालेखाकार ग्वालियर, भोपाल।
17. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग।
18. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
19. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग